प्रेस नोट- थाना पुवायां

जनपद- शाहजहांपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 09.04.2025

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ बलात्कार करने के अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशनुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण मे चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा नाबालिकग के साथ बलात्कार करने के अभियुक्त को किया गिरफ्तारः -

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.04.2025 को वादी द्वारा थाना पुवायाँ पर तहरीर देकर अभियुक्त हिमांशु पुत्र रामराखन निवासी ग्राम मीरपुर जेवां थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार/दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ श्री हरपाल सिंह बालियान द्वारा स्वंय ग्रहण कर आरम्भ की गयी तथा घटना की सूचना तत्काल अधिकारीगण को दी गयी उनके द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी के आदेश दिये गये। जिसके अनुपालन मे थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे नामित अभियुक्त हिमांशु पुत्र रामराखन निवासी ग्राम मीरपुर जेवां थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर को बस स्टैण्ड पुवाया से दिनांक 09.04.2025 को 05.15 बजे सुबह हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हिमांशु पुत्र रामराखन निवासी ग्राम मीरपुर जेवां थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 18.5 वर्ष

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारीः-

1. मु0अ0स0 268/25 धारा 137(2)/123/64(1)/352/351(3) बीएनएस व 3/4(1) पाक्सो एक्ट थाना पुवायां शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

2. उ0नि0 श्री इमरान खान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

3. हे0का0 491 रामनरेश थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर